न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 158/2020(2020/00202)

अनवान : —

1. बलवीर पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. गोपालराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. सरजीत पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. लीलाधर पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
4. देवीलाल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
5. एचडीएफसी बैंक अग्रोहा जरिये शाखा प्रबन्धक अग्रोहा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री पवन सिहाग वादी
श्री रोहिताश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 22/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा न0 47 के किला न0 9 ता 12, 20, 21, मुरब्बा न0 48 के किला न0 1, 2, 6 ता 25 कुल किता 28 की कुल 7.084 हैक्टेयर नहरी मय खाला रास्ता, इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता संख्या 30/23 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला न0 6, 7, 11 ता 25, मुरब्बा न0 40 के किला न0 1 ता 5 इस प्रकार कुल किता 22 की 5.566 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के नाम 5/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पर वादी के दादा मामचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। मामचन्द से विरासतन वाद भूमि जो प्रतिवादी गोपालराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी गोपालराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी गोपालराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम को वादी के दादा मामचन्द से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी खतौनी चक 4 एएमएस सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 26 एवं जमाबन्दी खतौनी चक 5 एएमएस सम्वत 2029–38 खाता संख्या 25 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी बलवीर पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बिराण तहसरील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 4 एएमएस सम्वत 2073–76 खाता संख्या 25/20 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 5 एएमएस सम्वत 2073–76 खाता संख्या 30/23 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी चक 4 एएमएस सम्वत 2029–38 खाता संख्या 26 प्रदर्श 3, जमाबन्दी खतौनी चक 5 एएमएस खाता संख्या 2029–38 खाता संख्या 25 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत बिराण का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा न0 47 के किला न0 9 ता 12, 20, 21, मुरब्बा न0 48 के कि[illegible] किता 28 की कुल 7.084 हैक्टेयर नहरी मय खाला रास्ता, इसी प्र[illegible] च[illegible] 5 एएमएस के खाता संख्या 30/23 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला न0 6, 7, [illegible] 25, मुरब्बा न0 40 के किला न0 1 ता 5 इस प्रकार कुल किता 22 की 5.566 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के नाम 5/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा न0 47 के किला न0 9 ता 12, 20, 21, मुरब्बा न0 48 के किला न0 1, 2, 6 ता 25 कुल किता 28 की कुल 7.084 हैक्टेयर नहरी मय खाला रास्ता, इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता संख्या 30/23 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला न0 6, 7, 11 ता 25, मुरब्बा न0 40 के किला न0 1 ता 5 इस प्रकार कुल किता 22 की 5.566 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के नाम 5/12 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी बलवीर व प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम, प्रतिवादी संख्या 2 सरजीत, प्रतिवादी संख्या 3 लीलाधर, प्रतिवादी संख्या 4 देवीलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि देय हो तो नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)